अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2015

का. आ. 3069(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 19.12.2011 की अधिसूचना सं. का. आ. 2835 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "चिन्मय ऑग्रेनाईजेशन फॉर रूरल डेवलपमेन्ट (कोर्ड), 89, लोधी एस्टेट, नई दिल्ली-110003" द्वारा " व्यापक एकीकृत संभरणीय ग्रामीण विकास परियोजना" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-2014 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 5.76 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 8 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (क) एतदद्वारा "चिन्मय ऑग्रेनाईजेशन फॉर रूरल डेवलपमेन्ट (कोर्ड), 89, लोधी एस्टेट, नई दिल्ली-110003" द्वारा चलाई जा रही है "व्यापक एकीकृत संभरणीय ग्रामीण विकास परियोजना" की परियोजना अथवा स्कीम को 5.76 करोड़ रूपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि अर्थात, 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है। चूंकि वित्तीय वर्ष 2014-15 समाप्त हो चुका है अत: आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 क ग के तहत वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

[सं. 259 /2015 /फा. सं. वी -27015/3/2015 एस ओ(एन. सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)